

फर्द अहकाम


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रतनारावत

बनाम

गोविन्दसिंह वगै०

क्रमा नं० :-34 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05.09.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया।</p> <p>अतः वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम चक चारणवास, तहसील जमवारामगए, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 1.12है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी (सहित मीमा) जयपुर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ</p>	